वाहन चालको के पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरे जाने हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र का मूल्य– रू0 500/–

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
टेहरी कोठी, एम0जी0 मार्ग, लखनऊ
फोन नं0–0522–2613978

निविदा संख्या–1178सड़क सुरक्षा/2016–80स0सु0/15–16 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2016

निविदा खोले जाने की तिथि 05 अगस्त, 2016

निविदा आमंत्रण–सूचना

परिवहन आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्र्तगत दिनांक 31.08.2015 को मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में 'कोष प्रबन्धन समिति' की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सड़क सुरक्षा कोष से क्रय किए गए एवं क्रय किए जाने की प्रक्रिया के अधीन वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालकों की भर्ती आऊट सोर्सिंग के माध्यम से किए जाने हेतु शासन से मांगी गई स्वीकृति की प्रत्याशा में 27 पदों पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आउट सोर्सिंग द्वारा तैनाती हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है, इन पदों पर वाहन चालकों की मांग वाहनों की उपलब्धता के आधार पर समय–2 पर की जाएगी :–

क्रम सं0	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	अर्नेस्टमनी की धनराशि (रूपये में)	निविदा फार्म का मूल्य (रूपये में)
1	27 वाहन चालकों के पदों को आउट सोर्सिंग द्वारा तैनाती हेतु	27	50,000/–	500/–

उपरोक्त टेण्डर से सम्बन्धित कोई भी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में दूरभाष नम्बर–0522–2613978 पर प्राप्त की जा सकती है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय का फैक्स नं0–0522–2629235 है। निविदा प्रपत्र कार्यालय कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा प्रपत्र दिनांक 21 अगस्त, 2016 से पूर्वान्ह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की जा सकती है।

1– निविदा के साथ उक्त अंकित धनराशि (अर्नेस्ट मनी) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। अर्नेस्ट मनी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2– निविदादाता द्वारा निविदा की शर्ते पूर्ण न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

3– निविदा फार्म परिवहन विभाग की बेबसाइट **www.uptransport.org** से दिनांक 21.07.2016 से डाउनलोड किये जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा सम्बन्धी नियम, शर्ते, आदि उ0प्र0 परिवहन विभाग की उक्त बेबसाइट पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाईट से निविदा फार्म डाउनलोड किये जाने पर निविदा प्रपत्र के मूल्य की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

4– अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकार करने हेतु सक्षम होगा।

5– आउट सोर्सिंग फर्म द्वारा तैनाती, निविदा के अन्तिमीकरण की तिथि/कार्यादेश की तिथि से 21 दिन में किया जाना होगा।

6– यदि निम्नलिखित दिवसों में अवकाश हो तो निविदा अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी।

क्रसं0	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि/समय	05 अगस्त 2016	अपरान्ह 2.00 बजे तक
2	निविदा खोले जाने की तिथि/समय	05 अगस्त, 2016	अपरान्ह 3.00 बजे

(के0 रविन्द्र नायक)
परिवहन आयुक्त/सड़क सुरक्षा आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

निविदा के नियम एवं शर्तें

निविदा को सील बन्द लिफाफे में कार्यालय परिवहन आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ को निम्नवत् शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जाना है–

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार निविदादाता के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जायेगा।
2. निविदा दिनांक 21 जुलाई 2016, पूर्वान्ह 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक निविदा फार्म का मूल्य रू0 500/– नकद जमाकर कार्यालय परिवहन आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. निविदा फार्म दिनांक 05.08.2016, अपरान्ह 2.00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जमा की जायेगी।
4. निविदा दिनांक 05.08.2016, अपराह्न 3:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। सेवा प्रदाता कम्पनी का चयन निविदा समिति द्वारा प्रपत्र में दिये गये चयन के आधार में उल्लिखित विशिष्टियों के मापदंडों के अंकों के आधार पर किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र परिवहन विभाग की वेबसाईट www.uptransport.org पर भी उपलब्ध है जहां से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने की दशा में निविदा प्रपत्र के मूल्य की धनराशि रू0 500 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के नाम देय हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदा प्रपत्र में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा को निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदादाताओं के अधिकृत हस्ताक्षरी के द्वारा बिड ओपनिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी एक व्यक्ति को अधिकृत किया जा सकता है।
8. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें तथा अधिकृत हस्ताक्षरी हेतु संबंधित साक्ष्य भी निविदा के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।
9. निविदा के साथ निर्धारित अर्नेस्ट मनी का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। अर्नेस्ट मनी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्ते पूर्ण न करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश निविदा को बिना कारण बताये आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकार करने हेतु सक्षम होंगे।
12. निविदा शासन से पदों की स्वीकृति के अधीन होगी।
13. वाहन चालको की तैनाती सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं भी की जा सकती है।
14. कार्यालय परिवहन आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ में वाहन चालकों की सेवा प्रदाता के माध्यम से आउट सोर्सिंग द्वारा तैनाती हेतु अर्हता एवं मानदेय निम्नवत् होगा–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	शैक्षिक योग्यता	प्रत्येक चालक मानदेय (सेवा चार्ज एवं सेवा कर आदि सहित)
1	वाहन चालक	27 (सत्ताइस)	परिवहन यान चलाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस (03 वर्ष से अधिक परिवहन यान चलाने वाले चालक ही वैध अनुज्ञा–पत्र के साथ अर्ह होगें)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक है। आयु, 01 जुलाई 2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो, मान्य होगा।	रू0 20,000.00 (रू0 बीस हजार मात्र)

निविदादाता के पात्रता का आधार

न्यूनतम आर्हताऐं–

1. निविदादाता का फर्म कम्पनी एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
2. फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो में मैन पावर आपूर्ति का प्रतिवर्ष वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू0 06 करोड़ होना अनिवार्य है। (फर्म का पिछले तीन वर्षो का ऑडिटेड बैलेंस शीट संलग्न करें जिसमें यह प्रदर्शित हो कि वेतन, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि का टर्न ओवर रू0 06 करोड़ या इससे अधिक है।)
3. फर्म का पैन न0 (आयकर विवरण प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
4. फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0ओ0) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
5. फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
6. सेवाप्रदाता कम्पनी/संस्था का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत/चालू खाता होना अनिवार्य होगा।

चयन का आधार

(क) सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कम्पनी का ही चयन किया जायेगा।
(ख) परिवहन विभाग में कार्य का अनुभव रखने वाली फर्म को वरीयता दी जा सकती है।

क्र0सं0	विवरण	पूर्णांक	चयन का मापदंड	प्राप्तांक
1	फर्म का कम्पनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन	20	4 वर्ष से अधिक 8 वर्ष तक– 05 8 वर्ष से अधिक 16 वर्ष तक– 10 16 वर्ष से अधिक– 20	
2	फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो में प्रति वर्ष कुल टर्न ओवर (प्रमाण के लिए बैलेंस शीट की कापी अवश्य संलग्न करें)	20	रू0 06 करोड़ तक 05 रू0 06 करोड़ से अधिक रू0 08 करोड़ तक– 10 रू0 08 करोड़ से अधिक रू0 10 करोड़ तक– 15 रू0 10 करोड़ से अधिक– 20	
3	फर्म का कार्यालय स्थापना कर व्यापार करने का अनुभव (प्रमाण के लिए फर्म का प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें)	20	4 वर्ष से अधिक 8 वर्ष तक– 05 8 वर्ष से अधिक 16 वर्ष तक– 10 16 वर्ष से अधिक– 20	
4	फर्म द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0पी0 एफ/ई0 एस0आई) में वित्तीय वर्ष 2015–16 के किसी माह के सापेक्ष कुल कर्मचारियों की संख्या जिनका अंशदान जमा किया गया हो। (चालान की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें)	20	50 कर्मचारी तक 05 50 कर्मचारी से अधिक एवं 500 कर्मचारी तक– 10 500 कर्मचारी से अधिक एवं 1000 कर्मचारी तक 15 1000 कर्मचारी से अधिक– 20	
5	फर्म का सरकारी विभागों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूरे वर्ष कुल पद जिस पर मैन पावर आपूर्ति करने का अनुभव है।	20	100 कर्मचारी तक 05 100 कर्मचारी से अधिक एवं 1000 कर्मचारी तक– 10 1000 कर्मचारी से अधिक– एवं 2000 कर्मचारी तक 15 2000 कर्मचारी से अधिक 20	

नियम व शर्ते–

1. उक्त प्रकार से चयनित सेवाप्रदाता कम्पनी द्वारा मानदेय/पारिश्रमिक पर नियमानुसार सर्विस टैक्स भारत सरकार को भुगतान किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता कम्पनी/संस्था द्वारा आपूर्ति किये गये कार्मिकों को दिया जाने वाले मानदेय पर सेवा कर, नियोक्ता ई0पी0एफ0 अंशदान, नियोक्ता ई0एस0आई0 अंषदान एवं सेवा चार्ज का भुगतान सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था द्वारा शासकीय नियमों के अनुसार अपने संसाधन से किया जायेगा। कार्यालय द्वारा मानदेय के अतिरिक्त कोई भुगतान देय न होगा।
3. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था को किये जाने वाला भुगतान की धनराशि पर शासकीय नियमों के अनुसार आयकर की कटौती की जायेगी, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आयकर का प्रमाण–पत्र (फार्म–16ए) कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा।
4. सेवा प्रदाता कम्पनी/संस्था द्वारा लिए जाने वाले ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 (कार्मिक अंशदान) नियोजित कार्मिकों द्वारा वहन किया जायेगा।
5. चयनित संस्था को निविदा के उपरान्त कार्यादेश की तारीख से 21 दिनों के अन्तर्गत वांछित कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी तथा उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों की योग्यता, पता, दूरभाष नं0 आदि संबंधी विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे विवरण में अंकित किया जायेगा।
6. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार परिवहन आयुक्त उ0प्र0, लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा।
7. चयनित संस्था/सेवा प्रदाता द्वारा वांछित कर्मियों की आपूर्ति 21 दिन में जायेगी और इसके लिए परिवहन आयुक्त के साथ 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध किया जायेगा। सेवायें संतोषजनक न होने अथवा आवश्यकता न होने की स्थिति में संस्था का अनुबन्ध किसी भी समय 01 माह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
8. चयनित संस्था/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कार्मिकों के दुष्कृत्य/अपचार की पूर्ण जिम्मेदारी चयनित संस्था/सेवा प्रदाता की ही होगी।

निविदा प्रारूप

(निविदा प्रारूप में विवरण भरना व प्रमाण के तौर पर आवश्यक संलग्नक लगाना अनिवार्य है)

क्र0सं0	विवरण			संलग्नक
1	निविदादाता का फर्म कम्पनी एक्ट के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	पंजीयन सं0		
		पंजीयन दिनांक		
2	फर्म का पैन न0 (आयकर विवरण प्रमाण–पत्र संलग्न करें)	पैन न0		
3	फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई0पी0एफ0ओ0) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई0एस0आई0सी0) में पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)	ई0पी0एफ0ओ0 पंजीयन सं0		
		ई0एस0आई0सी0 पंजीयन सं0		
4	फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन पंजीकृत होना अनिवार्य है। (पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	पंजीयन सं0		
5	सेवाप्रदाता कम्पनी/संस्था किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में चालू/बचत खाता होना अनिवार्य होगा।	बैंक का नाम		
		बैंक खाता सं0		
6	फर्म का कार्यालय स्थापना कर व्यापार करने का अनुभव (प्रमाण के लिए फर्म का प्रमाण–पत्र अवश्य संलग्न करें)	कार्यालय स्थापना का माह मय वर्ष		
7	फर्म द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या जिनका अंशदान एक माह में जमा हुआ। (दिसम्बर 2015 के चालान की कापी अवष्य संलग्न करें)	कुल कर्मचारियों की सं0		
8	फर्म का सरकारी विभागों में वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल पद जिस पर मैनपावर आपूर्ति करने का अनुभव है।	कुल पदों की सं0 (विवरण शीट आवश्यक संलग्न करें)		
9	फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो में मैनपावर आपूर्ति का प्रतिवर्ष वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू0 06 करोड़ होना अनिवार्य है। (फर्म का पिछले तीन वर्षो का ऑडिट बैलेंस शीट संलग्न करें जिसमें यह प्रदर्शित हो कि वेतन, ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 आदि का टर्न ओवर रू0 06 करोड़ या इससे अधिक है।)	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (रू0 करोड़ में)	
		2012–13		
		2013–14		
		2014–15		
10	फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षो में प्रति वर्ष कुल टर्न ओवर (प्रमाण के लिए बैलेंस शीट की कापी अवष्य संलग्न करें) वित्तीय वर्ष–2012–13, 2013–14, 2014–15	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (रू0 करोड़ में)	
		2012–13		
		2013–14		
		2014–15		

निविदादाता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम मय हस्ताक्षर व मोहर

<u>निविदा फार्म</u>

(निविदादाता द्वारा भरा जायेगा)

सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वाहन चालक के 27 पदों को आउट सोर्सिंग द्वारा तैनाती हेतु निविदा–

प्रेषक,

....

....

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

टेहरी कोठी, महात्मा गॉधी मार्ग,

लखनऊ–226001

महोदय,

सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वाहन चालक के 27 पदों को आउट सोर्सिंग द्वारा तैनाती हेतु दैनिक समाचार पत्र ———————————————— दिनांक..........................में प्रकाशित टेन्डर नोटिस के संदर्भ में मैं टेन्डर की शर्तो को संलग्न करते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत कर रहा हूॅ।

मैंने/हमने टेन्डर प्रपत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम टेन्डर की शर्तों से सहमत हूॅ।

मेरे/हमारे द्वारा दिया गया प्रस्ताव टेन्डर खोले जाने से 06 माह तक वैध होगा। मैं/हम इस बात से सहमत हैं कि उपरोक्तानुसार छः माह के समाप्त होने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस नहीं ले सकूॅगा, और मैं/हम यदि ऐसा करते हैं तो विभाग को धरोहर राषि जब्त करने का अधिकार होगा।

धरोहर राशि रूपये.................... का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या.................

दिनांक .... जो परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पक्ष में देय है तथा ....बैंक की ....शाखा द्वारा जारी किया गया है, संलग्न है।

मैं/हम बचन देते हैं कि यदि मेरा/हमारा टेन्डर/बिड स्वीकृत होता है तो तद्नुसार अनुबन्ध करके टेन्डर की शर्तो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक.........................

स्थान..........................

भवदीय,

निविदादाता/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

हस्ताक्षर..........................

नाम............................